

फर्द अहकाम

बनाम

यक कलक्टर, बस्सी
/मुकदमा नम्बर :

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

दफ्तर हो) निर्णय खुले न्यायालय
में शुनामा गया।

ॐ नमो
सहायक कलक्टर
बस्सी जिला-जयपुर

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रुल्स 6 व 7 दीयानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी:- कनक जैन (आर.ए.एस.)

वाद संख्या- 259/2022

1- सत्यनारायण पुत्र श्री राधेश्याम पि. मु. किशना जाति महाजन
निवासी ग्राम तूंगा तहसील तूंगा जिला जयपुर

- वादी

बनाम

1- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तूंगा तहसील तूंगा जिला जयपुर।

- प्रतिवादी

दिनांक- 06/06/2024


दावा घोषणा, दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 89ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तूंगा के पत्रांक भू.अ.
/2024/663 दिनांक 23.02.2024 के आधार पर डिक्री किया जाता है कि ग्राम
तूंगा तहसील तूंगा जिला जयपुर स्थित हाल खसरा नम्बर 1009 रकबा 0.1200
हेक्टेयर, खसरा नम्बर 1010 रकबा 0.2500 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 1011 रकबा
0.3500 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 1012 रकबा 0.0500 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 1013
रकबा 0.2500 हेक्टेयर खसरा नम्बर 1014 रकबा 0.1200 हेक्टेयर, खसरा नम्बर
537 रकबा 0.0300 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 997 रकबा 0.4100 हेक्टेयर, खसरा
नम्बर 998 रकबा 0.1700 हेक्टेयर, कुल किता 9 कुल रकबा 1.7500 हेक्टेयर
जिसके गत खसरा नम्बर 446 रकबा 1 बिस्वा. खसरा नम्बर 447 रकबा 4
बिस्वा, खसरा नम्बर 448 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा. खसरा नम्बर 32 रकबा 2
बिस्वा, कुल किता 4 कुल रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा भूमि का पूर्व के नक्शे जो
कि वादी खातेदारी पासबुक दिनांक 15.10.72 को जारी किया गया उसके
अनुरूप ही हाल नक्शे को संशोधित किये जाने के आदेश दिये जाते है।
तहसीलदार तूंगा उक्तानुसार राजस्व नक्शे में अमल दरामद की कार्यवाही
करें।.....निजी.....

मुबलिक.....बाबत.....खर्चा.....इस
मुकददमें का मय सूद वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख
वसूलियाव तक.....को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 06.06.2024 को जारी
किया गया।



दस्तख्त.....
सहायक कलक्टर
ओहदी.....
बस्सी जिला-जयपुर

मुददई	रुपये	पैसे	मुददायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प वहत सबूत महन्ता वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प वहत सबूत महन्ता वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिफी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

(m n)
सहायक कलेक्टर
बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण